<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>09.04.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ग्राम विजयदुर्ग, तालुका देवगढ़, जिला सिंधुदुर्ग में 413 कृषि भू-खण्डों जो लगभग 1807 एकड़ क्षेत्र है, को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई 1807 एकड़ जमीन का पंजीकृत मूल्य 52.90 करोड़ रुपये था और 82.30 करोड़ रुपये की अपराध आय का उपयोग इन भू-खण्डों को प्राप्त करने के लिए 2010 से 2013 की अवधि के दौरान किया गया था।

ईडी ने जॉय थॉमस, वरयाम सिंह (पीएमसी बैंक के निदेशक), राकेश कुमार वाधवान, सारंग वाधवान और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत ईओडब्ल्यू, मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की। मेसर्स हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एचडीआईएल), इसके प्रमोटरों और अन्य सह-आरोपियों/सहयोगियों ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) को रुपये 6117.93 करोड़ (मूलधन रुपये 2540.92 करोड़ और ब्याज रुपये 3577.01 करोड़) का नुकसान कराके धोखाधड़ी की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि 2010 से 2013 की अवधि के दौरान, एचडीआईएल के प्रमोटरों- सारंग वधवान और राकेश वधवान ने उनकी सहायक कंपनियों मेसर्स प्रिविलेज पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मेसर्स प्रिविलेज हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के माध्यम से विजयदुर्ग, जिला सिंधुदुर्ग में भूमि अधिग्रहण के लिए 39 किसानों के खातों में अपराध से प्राप्त कुल आय रुपये 82.30 करोड़ का हेरफेर किया था। सारंग वाधवान ने अपने कर्मचारी मुकेश खड़पे के साथ मिलकर किसानों को उनके नाम पर जमीन लेने और कमीशन और अन्य लाभों के बदले एचडीआईएल समूह की कंपनी के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए राजी किया। इन जमीनों को प्राप्त करने के लिए नकद घटकों का भी इस्तेमाल किया गया और 52.90 करोड़ रुपये के पंजीकृत मूल्य पर जमीनों के पंजीकरण के बाद, एचडीआईएल समूह कंपनी के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेज प्राप्त किए गए। हालाँकि ये ज़मीनें कथित तौर पर बंदरगाहों के विकास के लिए अधिग्रहित की गई थीं, लेकिन इन्हें कभी विकसित नहीं किया गया। सारंग और राकेश वाधवान ने एचडीआईएल की अपनी सहायक कंपनियों के खातों से पीएमसी बैंक को अंधेरे में रखते हुए किसानों के खातों में 82.30 करोड़ रुपये की पीओसी भेज दी। जाँच के नतीजे के आधार पर, रुपये 52.90 करोड़ के पंजीकृत मूल्य वाली संपत्ति को पीएमएलए के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

इससे पहले, दिनांकः 17.10.2019 को मुख्य आरोपी राकेश कुमार वाधवान और उनके बेटे सारंग वाधवान को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके और 36

अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध एक अभियोजन शिकायत और 2 पूरक शिकायतें पहले ही दायर की जा चुकी हैं। अब तक, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कुल मिलाकर 719.11 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।